

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

.....
 धनवन्ती देवी बनाम धनराज कौर
 किस्म मुकदमा नं. 11 सन् 2019
 प्रार्थना पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
07/19	<p>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 एल.आर. एच. कोर्ट जस्टिस प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रार्थी धनवन्ती देवी पत्नी मुकेश कुमार मीणा निवासी श्रीपुरा तहसील रावतभाटा ने ग्राम आगरा स्थित खेतदारी की झारजी नम्बर 178, 184 कीता 2 शकवा 1.79 हे. एवं 179, 180, 181, 182, 183 कीता 5 शकवा 2.69 हे. की पत्थरगदी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त झारजी प्रार्थी के खेतदारी एक से दर्ज रेकार्ड हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम आगरा स्थित झारजी नम्बर 178, 184 कीता 2 शकवा 1.79 हे. एवं 179, 180, 181, 182, 183 कीता 5 शकवा 2.69 हे. की खिन्ना किली के फलजे से दरबानगी किली सेटलमेंट नबशे इजुलार पत्थरगदी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगदी स्वची प्रार्थी पक्ष करेगे। कमिश्नर शुल्क 1000/- रुपए आधारे एक हजार रुपए प्रार्थी से वसूल हो। पालनाब तहसीलदार रावतभाटा को निरत्रा जावे कि पक्षकाराण को सूचित किया जाकर नियमावुलार उक्त झारजी की पत्थरगदी की जावे एवं कोई विवार हो तो पुनः वेडा करे। पालना प्राप्त हो। प्रार्थनी के सल शुमार हेक्टर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

यह अपेक्षा क्यों न
 वेंगे। आप 10,000.
 क प्रतिभूति (या य
 10,000.00 रुपये